न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जोधपुर (ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 78/2023 (2023/39)

अपीलार्थीगण :–

1. अनच कंवर पुत्री चैनसिंह पत्नी सवाई सिंह, जाति राजपूत, निवासी मोकमगढ (केतुकला) तहसील सेखाला जिला जोधपुर।

2. लेहर कंवर पुत्री चैनसिंह पत्नी स्वरूपसिंह, जाति राजपूत, निवासी मोकमगढ (केतुकला) तहसील सेखाला जिला जोधपुर।

3. मोहन कंवर पुत्री चैनसिह के कायम मुकाम

3/1. भोमसिंह पुत्र मोहन कंवर पत्नी खेतसिंह, जाति राजपूत, निवासी रावत नगर पीलवा, तहसील देचू, जिला जोधपुर।

बनाम

प्रत्यर्थीगण :–

1. जेठूसिंह पुत्र मूलसिंह
2. गिरधारी सिंह पुत्र मूलसिंह
3. भंवरसिंह पुत्र पदमसिंह
4. ओमसिंह पुत्र पदमसिंह
5. सोहनसिंह पुत्र पदमसिंह
6. दरियाव कंवर पत्नी पदमसिंह

   समस्त जातियान राजपूत, निवासीगण धोलिया नगर, खेतासर, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।
7. तहसीलदार तिंवरी जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 715 मौजा खेतासर जो दिनांक 26.05.1999 को तहसीलदार ओसिया द्वारा स्वीकार किया गया।

————

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री जगदीश प्रजापत (अपीलार्थीपक्ष)।
2. अधिवक्ता श्री चन्द्रप्रकाश चौधरी (प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3)
3. प्रत्यर्थी संख्या 1 तथा 4 से 7 नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित।

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.05.24 18:30:37 IST
Reason: SelfAttested

—: **आदेश** :— दिनांक :— 01.04.2024

अपीलार्थीगण ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 नामान्तरकरण संख्या 715 मौजा खेतासर जो दिनांक 26.05.1999 को तहसीलदार ओसिया द्वारा स्वीकार किया गया, के विरूद्ध पेश की है। अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम खेतासर में खसरा संख्या 42 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नं0 193 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नं0 213 रकबा 135 बीघा, खसरा नं0 218 रकबा 98 बीघा 9 बिस्वा तथा खसरा नं0 212 रकबा 6 बिस्वा भूमि आई हुई जो जो अपीलार्थीगण के पिता चैनसिंह एवं मूल सिंह की संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी। अपीलार्थीगण स्व0 चैनसिंह की प्रथम श्रेणी की वारिसान् है लेकिन आलौच्य नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय चैनसिंह को लाऔलाद फौत बताकर प्रत्यर्थी संख्या 1, 2 तथा प्रत्यर्थी संख्या 3 से 5 के पिता व प्रत्यर्थी संख्या 06 के पति पदमसिंह के नाम से स्वीकृत करवा लिया जबकि अपीलार्थीगण चैनसिंह की जायन्दा पुत्रियाँ है। चैनसिंह के देहान्त के समय अपीलार्थीगण उत्तराधिकारी भी मौजूद थे, परन्तु तहसीलदार ओसिया ने मृतक खातेदार चैनसिंह के वारिसान की कोई जांच नहीं की, अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित करने से पूर्व अपीलार्थीगण को सुनवाई व सूचना का कोई नोटिस नहीं दिया तथा एकपक्षीय कार्यवाही कर नामान्तरकरण पारित कर दिया तथा अपीलार्थीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने से रह गया जो नामान्तरकरण विधि विरूद्ध एवं विधि में शून्य होने से निरस्त योग्य है। आलौच्य नामान्तरकरण से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये जो विधिवत् तामिल होना पाया गया। प्रत्यर्थी संख्या 1 तथा 4 से 7 नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित तथा प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्रप्रकाश चौधरी ने वकालतनामा पेश किया। प्रकरण से संबंधित मूल रिकॉर्ड तहसीलदार ओसिया से तलब किया गया। प्रकरण में मूल रिकॉर्ड प्राप्त होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस दिनांक 19.03.2024 को सुनी जाकर पत्रावली दिनाांक 01.04.2024 को आदेश हेतु रखी गई। अपीलार्थी अधिवक्ता ने दिनांक 21.03.2024 को ग्राम पंचायत पंचायत धोलिया नगर द्वारा जारी वारिस प्रमाण—पत्र पेश किया तथा प्रत्यर्थीपक्ष अधिवक्ता ने दिनांक 26.03.2024 को ग्राम पंचायत धोलिया नगर द्वारा जारी वारिस प्रमाण—पत्र के सम्बन्ध में सूचना पेश की जिन्हें शामिल पत्रावली किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.05.24 18:30:37 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में बतलाया कि प्रार्थीगण अनपढ़ एवं ग्रामीण परिवेश की महिलाएँ होने से राजस्व रिकॉर्ड की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया तथा यही समझती रही की उनके पिता के हक व हिस्से की भूमि में उनका नाम दर्ज हो गया होगा लेकिन जब दिनांक 02.03.2021 को प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में बने दादा मेघसिंह के थान का दर्शन करने गई तो अप्रार्थीगण ने खेत में जाने से मना कर दिया और बतलाया कि प्रार्थीगण का चैनसिंह की भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं है, तब प्रार्थीगण ने पटवारी हल्का से सम्पर्क किया और राजस्व रिकॉर्ड की नकल निकलवाई तब प्रार्थीगण को अपीलाधीन नामान्तरणकरण की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 10.03.2021 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अन्दर मियाद पेश की जा रही है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर अपील में हुए विलम्ब को माफ करने की प्रार्थना की।

प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 के अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का जवाब पेश नहीं कर प्रार्थना–पत्र की बहस में बतलाया कि प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 10.03.20 को नकल प्राप्त की गई तथा न्यायालय में दिनांक 05.04.2021 को अपील प्रस्तुत की गई जबकि जानकारी की तिथि से अपील 30 दिन के अन्दर पेश करने का प्रावधान है। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा एक वर्ष पश्चात अपील पेश की गई है जो म्याद बाधित होने से खारिज योग्य है। प्रार्थना–पत्र की बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 2009 (1) आर. आर. टी. पेज नं0 488, 2009 (1) आर. आर. टी. पेज नं0 432 तथा आर. आर. टी. 2019 (2) पेज नं0 1555 पेश किये।

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने गुणावगुण बहस में बतलाया कि अपीलार्थीगण के पिता के फौत होने पर विरासत के अधिकार अपीलार्थीगण को प्राप्त हुए लेकिन तत्कालीन तहसीलदार ओसिया तथा पटवारी हल्का ने मृतक खातेदार चैनसिंह के विधिक वारिसान की कोई जांच नहीं की तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित करने से पूर्व अपीलार्थीगण को सुनवाई व सूचना का कोई नोटिस नहीं दिया तथा एकपक्षीय कार्यवाही कर चैनसिंह को लाआलौद फौत बताकर मूलसिंह के वारिसानों के नाम नामान्तरकरण पारित कर दिया, जो अपास्त योग्य होने से निरस्त किया जावें।

प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 के अधिवक्ता ने गुणावगुण बहस में बतलाया कि अपीलार्थीगण चैनसिंह की पुत्रियाँ नहीं है और न ही प्रथम श्रेणी की वारिसान् है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामा[illegible] कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की गई। प्रत्यर्थी अधिवक्ता द्वारा ग्राम पंचायत [illegible] से वारिसानों की सूचना के

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.05.24 18:30:37 IST
Reason: SelfAttested

संबंध में जारी पत्र जिसमें सरपंच ग्राम पंचायत धोलियानगर ने बतलाया कि चैनसिह पुत्र मेघसिंह जाति राजपूत, निवासी धोलियानगर के वारिस का विवरण ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है क्योंकि ग्राम पंचायत धोलियानगर का गठन वर्ष 2015 में हुआ इससे पूर्व ग्राम पंचायत खेतासर होने के कारण इनके वारिसों का विवरण हमारी ग्राम पंचायत धोलिया नगर में दर्ज नहीं है। अन्त में अपीलार्थीगण की अपील खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। अपील का निस्तारण करने से पूर्व प्रार्थना–पत्र बाबत् धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र की बहस में बतलाया कि प्रार्थीगण द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण की नकल दिनांक 10.03.20 को ली गई तथा न्यायालय में दिनांक 05.04.2021 को अपील प्रस्तुत की गई जबकि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपीलाधीन नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 10.03.2021 को अपीलाधीन नामान्तरकरण की नकल ली गई तथा दिनांक 05.04.2021 को न्यायालय में अपील पेश कर दी गई। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा जानकारी की तिथि से 30 दिन के भीतर अपील न्यायालय में पेश कर दी गई। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना–पत्र की बहस के समर्थन में जो न्यायिक दृष्टान्त पेश किये गये है जो इस प्रकरण में ग्राह्य योग्य नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र बाबत् धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपील का गुणावगुण पर निर्णय इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण द्वारा ग्राम पंचायत धोलिया नगर, पंचायत समिति तिंवरी द्वारा वारिस प्रमाण–पत्र पेश किया गया जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण स्व0 चैनसिंह के प्रथम श्रेणी के वारिसान् है तथा विवादित भूमि में इसके हित प्रभावित होते है तथा प्रत्यर्थीपक्ष अधिवक्ता द्वारा ग्राम पचांयत धोलियानगर द्वारा जारी जो पत्र पेश किया गया उसमें कही भी नहीं बतलाया है कि अपीलार्थीगण चैनसिंह के वारिसान् नहीं है। द्वितीयतः अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय चैनसिंह को लाऔलाद फौत बताकर उसके भाई मूलसिंह के प्रथम श्रेणी के वारिसानों के नाम स्वीकृत कर लिया गया जबकि स्व0 चैनसिंह के अपीलार्थीगण प्रथम श्रेणी के वारिसान होने के कारण हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम, 1956 की धारा 8 के तहत मृतक चैनसिंह के प्रथम श्रेणी के वारिसान् है तथा स्व0 चैनसिंह की जायदाद में हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी भी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.05.24 18:30:37 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 715 मौजा खेतासर जो दिनांक 26.05.1999 को तहसीलदार ओसिया द्वारा स्वीकार किया गया, को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार ओसियां को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह स्व0 चैनसिंह व स्व0 मूलसिंह के प्रथम श्रेणी के सभी विधिक वारिसानों की जांच कर तथा उन्हे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। अधीनस्थ न्यायालय का मूल नामान्तरकरण आदेश की प्रति के साथ भेजा जावे।

(सीमा कविया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
जोधपुर (ग्रामीण)

आदेश आज दिनांक 01.04.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सीमा कविया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
जोधपुर (ग्रामीण)

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.05.24 18:30:37 IST
Reason: SelfAttested